

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN) U45200BR1974GC001126

प्रधान कार्यालय— कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना हवाई अड्डा, पटना-800014.

मोबाईल नं० : 9431011637 वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

अल्पकालीन ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 16 / SBD/2025-26

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 08-09-2025
- 3 निविदा डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक- 15-09-2025 से 20-09-2025 तक।
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 22-09-2025 को 17:00 बजे तक।
- 5 प्री बीड मिति की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 18-09-2025 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 6 (क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 24-09-2025 को 16:00 बजे।
(ख) बित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
(ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कंडिका- 42 के अनुसार
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर।
- 8 निविदा की वैधता अवधि : 180 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :- :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ०नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू० में)	बीड प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	भागलपुर जिलान्तर्गत बाखरपुर थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	81591000	1631820	10000	As per eproc 2	12 माह
2.	भागलपुर जिलान्तर्गत तिलकामांझी थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	75516000	1510320	10000	As per eproc 2	12 माह
3.	भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	81622900	1632460	10000	As per eproc 2	12 माह
4.	भागलपुर जिलान्तर्गत मधुसुदनपुर थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	81598150	1631970	10000	As per eproc 2	12 माह
5.	भागलपुर जिलान्तर्गत शिवनारायणपुर थाना में थाना भवन (जी+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	81695127	1633910	10000	As per eproc 2	12 माह

कृ०पृ०उ०....2 /

Signature

Signature

	भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला थाना में थाना भवन (जी+3) आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	81350285	1627010	10000	As per eproc 2	12 माह
7.	मधेपुरा जिलान्तर्गत 02 यूनिट का अग्निशामालय (Customized Building G+3 Structure) मधेपुरा के भवन, 03 यू0एस0, 03 एल0एस0 आवास एवं एवं आधारभूत संरचना (Fire Hydrant/ Under Ground Rcc Tank) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा) NIT-25/SBD/2024-25, Gr-13	पूर्णियाँ	48100000	962000	10000	As per eproc 2	12 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्र सरकार / किसी राज्य सरकार / किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त एजेन्सी निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निर्गत होने के बाद तथा एकरारनामा के पूर्व बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा,। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का **शपथ-पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य होगा।
13. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेंगे, जिन पर पूर्व से आवंटित योजना का कार्य अकारण लंबित चला आ रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा निर्धारित समय के दौरान नहीं किये हैं, या फिर एकरारनामा के उपरांत निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं किये हैं। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गए / निलंबन / डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक-गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात् घट/बढ़ सकती है। तदनुसार परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि संशोधित होगी। निविदा प्रपत्र में **Uploaded** परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। निविदा संबंधी जानकारी Help Desk के Toll Free No. 18005726571 या E-mail ID eproc2support@bihar.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. SBD के Section 2 (Qualification of bidders) के आलोक में ई-निविदा के **Excel format** को पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. क्रमांक-7 में अंकित Bid-Processing charge+service tax का भुगतान संवेदक internet payment gate way (credit/Debit cards) अथवा internet banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे।
20. निविदा कागजातों के मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों द्वारा **Eproc2.0 portal online mode** में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की **Scanned Copy** साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि (EMD) केवल BG (Bank Guarantee) or internet payment gate way अथवा internet banking के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा जिसका Verification Online किया जाएगा। अग्रधन की राशि (EMD) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित होना अनिवार्य है।

Ananya

Dui

Bh

✓

यदि निविदादाता के द्वारा अग्रधन की राशि BG (Bank Guarantee) के रूप में दी जाती है तो BG (Bank Guarantee) की मूल प्रति दिनांक- 27-08-2025 को 17:00 बजे तक लेखा शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा में SBD के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा। संबंधित कार्य प्रमण्डल के लिए जो निविदाकार बैंक गारंटी दे रहे हैं तो, BG (Bank Guarantee) में निम्न उल्लेखित करें।

(i) पटना प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500196
(ii) राजगीर प्रमण्डल	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
(iii) पूर्णियाँ प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500199
(iv) भागलपुर प्रमण्डल	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
(v) मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500197
(vi) मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
(vii) दरभंगा प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500252
	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500253
	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500259
	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943
	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500254
	-	IFSC Code No. :- ICIC0001943

For issuing Bank Gurantee, applicant Must mention receiver's details as: ICICI Bank IFSC ICIC0001943, Branch- Ashiana Nagar, Patna, at which SFMS IFN 760 message shall be sent by issuing bank through SFMS, to establish the authenticity of issued BG.

23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड तीन वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जा सकेगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. निविदाकर्त्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने अथवा लिंक नहीं होने अथवा किसी तरह के बाध्यता के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।

32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र, (ii) पैन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र के संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- प्र0-7/विविध-04-26/2021-2033 (E) दिनांक- 11-04-2022 लागू रहेगा, तथा (iv) परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है। पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत एवं भविष्य में निर्गत होने वाले सभी परिपत्र निविदा पर लागू होगा।

नोट:- एकरारनामा के समय जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र, कार्यावृत्ति सम्वेदक / फर्म (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी निदेशकों का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) एवं योजना कियान्वयन में संबद्ध सभी तकनीकी तथा अन्य कर्मियों के प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा।

33. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के क्रम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।

34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Financial Turnover (In all classes of civil construction work) Balance Sheet, Profit & Loss Statement एवं Audit Report समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही 1 जुलाई 2019 के बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के स्तर से निर्गत सभी रिपोर्ट/ सर्टिफिकेट पर UDIN अनिवार्य होगा।

35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।

36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक- 06-07-2023 के द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक- प्र0- 7/मुक0-02-25/ 2022- 4439 (E) पटना, दिनांक- 17-07-2023 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 2046 (S) दिनांक- 06-03-2014 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447(S) दिनांक- 16-01-2020 सह पठित ज्ञापांक- 448(S) दिनांक- 16-01-2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्न प्रकार से लिया जाएगा।

a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
39. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, अंचल कार्यालय पटना या मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41. संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है—

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति/ भुगतान की राशि	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

- (ख) उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय /थाना में विचाराधीन नहीं है।
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (च) उपरोक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या कोई अभिलेख जाली पाये जाने पर निगम के सक्षम प्राधिकार, मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड यथा मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने एवं निविदा अमान्य करने की कार्रवाई तथा अग्रधन की राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 42.. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
44. "Contract Clause-25 of SBD Settlement of Dispute and Arbitration –
The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."
45. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल पर, निगम की ओर से प्रेषित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर उन्हें प्रदत्त /उपलब्ध मानी जायेगी।

मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3389

पटना, दिनांक- 4/9/25

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3389

पटना, दिनांक- 4/9/25

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू- 3389

पटना, दिनांक- 4/9/25

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ सचिव/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल- मोनिटरिंग/ विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/मुख्य लेखापदाधिकारी/ सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-2/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक-एच0क्यू- 3389

पटना, दिनांक- 4/9/25

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, भागलपुर एवं को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

Anange
Ari

3